क्रम-संख्या—1103

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—41

(लाइसेन्सड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 29 जुलाई, 1987

श्रावण 7, 1909 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या–1136/सत्रह–वि—1–1 (क) 11–1987

लखनऊ, 29 जुलाई, 1987

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1987 पर दिनांक 29 जुलाई, 1987 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम 14 सन् 1987 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 1987

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1987)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश जमींदारी–विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम, 1950 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 1987 कहा जायगा।

(2) यह 15 अप्रैल, 1987 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1951 में नयी धारा 131-क का बढ़ाया जाना.

2—उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 131 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी अर्थात्—

"131—क—कतिपय परिस्थितियों में, गांव सभा या राज्य सरकार की भूमि में भूमिधरी अधिकार

धारा 132 और 133—क के उपबन्धों के अधीन रहते हुये प्रत्येक व्यक्ति जिसकी जोत और कब्जे में जिला मिर्जापुर के कैमूर रेन्ज के दक्षिण भाग में 30 जून, 1978 के पूर्व से, भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 20 के अधीन अधिसूचित भूमि से भिन्न कोई ऐसी भूमि हो जो धारा 117 के अधीन किसी गांव सभा में निहित हो या राज्य सरकार की हो असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो गया समझा जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां किसी व्यक्ति की जोत और कब्जे में भूमि और उसके द्वारा उत्तर प्रदेश में धृत कोई अन्य भूमि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के अधीन अवधारित अधिकतम क्षेत्र से अधिक हो, वहां ऐसे व्यक्ति के पक्ष में प्रथम उल्लिखित भूमि के उतने क्षेत्र के सम्बन्ध में जो उसके द्वारा धृत ऐसी अन्य भूमि को मिलाकर उस पर लागू अधिकतम क्षेत्र से अधिक न हों, असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधरी अधिकार प्रोद्भूत होगा और उक्त क्षेत्र उपर्युक्त अधिनियम में निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार नियत रीति से सीमांकित किया जायगा।"

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 1987 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्र अध्यादेश संख्या सन् 19

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
श्रीनाथ सहाय,
सचिव।

No. 1136(2)/XVII-V..1-1(KA)-11-1987

Dated Lucknow, July 29, 1987

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Zamindari Vinash Aur Bhumi Vyawastha (Sanshodhan) Adhiniyam, 1987 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 14 of 1987) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 29, 1987.

THE UTTAR PRADESH ZAMINDARI ABOLITION AND LAND REFORMS (AMENDMENT) ACT, 1987

(U. P. Act No. 14 of 1987)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

Further to amend the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950.

It is hereby enacted in the Thirty-eighth Year of the Republic of India as follows :

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms (Amendment) Act, 1987.

(2) It shall be deemed to have come into force on April 15, 1987.

(61)

Insertion of new section 131-A in U.P. Act no. 1 of 1951.

2. *After* section 131 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, hereinafter referred to as the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :—

Bhumidhari rights in Gaon Sabha or State Government land in certain circumstances.

"131-A. Subject to the provisions of section 132 and section 133-A, every person in cultivatory possession of any land, vested in a Gaon Sabha under section 117 or belonging to the State Government, in the portion of district Mirzapur south of Kaimur range, other than the land notified under section 20 of the Indian Forest Act, 1927, before the 30th day of June, 1978, shall be deemed to have become a Bhumidhar with non-transferable rights of such land :

Provided that where the land in cultivatory possession of a person, together with any other land held by him in Uttar Pradesh exceeds the ceiling area determined under the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960, the rights of a Bhumidhar with non-transferable rights shall accrue in favour of such person in respect of so much area of the first-mentioned land, as together with such other land held by him, does not exceed the ceiling area applicable to him, and the said area shall be demarcated in the prescribed manner in accordance with the principles laid down in the aforesaid Act."

U.P. Ordinance no. 7 of 1987.

Repeal and saving.

3. (1) The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms (Amendment) Ordinance, 1987, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
S. N. SAHAY,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 95सा०(विधा०)—(1773)—1987—850 (मेक०)।